मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- 25000 करोड़ का है मेडिकल कॉलेज दाखिला घोटाला:नड्डा ने लूटेरों का बस्ता संभाला 3
- भारत माता का अमिताभ बच्चन संस्करण 4
- ....अब अगला नंबर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 4
- नेहरू के बिना हम अजनबी देश में होते 5
- गांधी की जगह गणदेवता 5
- छोटों पर गाज, बड़े अफ़सर माल मलाई खाने को 8
- मुर्दनी छाई कांग्रेस को कुलदीप में दिखी संजीवनी 8

वर्ष 29 अंक 14 फरीदाबाद, बुधवार 1-15 जून 2016 फोन : - 9999595632 2 ₹

हरियाणा में न शान्ति रहेगी न सुरक्षा मिलेगी

खट्टर के नये डीजीपी ने भी हाथ खड़े कर दिये

हरियाणा वासियों का सबसे बुरा सपना क्या सच होने जा रहा है?

फ़रवरी 2016 में नियोजित-प्रायोजित जाट आरक्षण आन्दोलन में झुलसे इस प्रदेश के लाखों लोग इस दुःस्वप्न का शिकार रहे हैं कि कहीं खुदा न खास्ता हिंसा का दौर फ़िर से लौटा तो सरकार उन्हें बचा पायेगी या नहीं? पिछले दिनों स्थितियों ने कुछ ऐसी करवट ली है कि हिंसा की पदचाप पुनः सुनाई देने लगी है। ऐसे में खट्टर के नये डीजीपी, केपी सिंह ने यह कहते हुए पुलिस की जवाबदेही से हाथ झाड़ लिये हैं कि नागरिकों को लूट व आगजनी, बलात्कार आदि करने वालों को जान से मारने का पुलिस जैसा अधिकार प्राप्त है। केपी सिंह ने यह बताने की जहमत गवारा नहीं करी कि गत फ़रवरी में हरियाणा पुलिस ने ऐसे कितने अपराधियों की जान ली थी? जब पेशेवर पुलिस इन हालात में भाग गयी तो नागरिक कैसे टिकेंगे?

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो चंडीगढ

कानून का अपना अधकचरा ज्ञान बघारने वाले डीजीपी से पूछा जाना चाहिये कि पिछली हिंसा से हरियाणा पुलिस ने क्या सबक लिये हैं? उनका दो माह से अधिक का कार्यकाल बीत चुकने पर भी कोई नीतिगत या संगठनात्मक बदलाव की घोषणा सामने नहीं आई है। फ़रवरी में पुलिस पूरी तरह विफ़ल सिद्ध हुई थी, यह निर्विवाद है। जाहिर है उसकी नेतृत्व संस्कृति, उसकी ट्रेनिंग और उसकी कार्यप्रणाली, तीनों ही आमूल परिवर्तन की मांग कर रहे थे। पर हुआ क्या? पुलिस को खट्टर सरकार के जातिवादी चश्मे से देखने का नजरिया चलता रहा। प्रकाश सिंह कमेटी की रपट की आड़ में चुन-चुन कर जाट अधिकारियों/कर्मचारियों पर ही हरियाणा के इतिहास में हुई व्यापकतम हिंसा का ठीकरा फ़ोड़ा गया। इसे आने वाली तबाही का मंजर नहीं तो और क्या कहा जाय?

सरकार के स्तर पर स्थिति और भी बद्तर है। खट्टर और उनके मन्त्री सद्भावना के नाम पर हवन-यज्ञ कराते घूम रहे हैं। सरकार के ब्रांड एम्बसेडर बने रामदेव सार्वजनिक रूप से लाखों मुसलमानों का सर काट कर हिन्दू एकता की बात करते फ़िर रहे हैं। प्रदेश में गीता जयंती और गौवंश सौंदर्य प्रतियोगिताओं की बाढ सी आ गयी है। इस बीच पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने जाट आरक्षण बिल पर रोक लगा दी है और दूसरी तरफ़ आरक्षण के नेताओं के विरुद्ध देशद्रोह का नया मुकदमा कायम कर दिया गया है। एक और हिंसक दौर को लाने के लिये जैसी विस्फ़ोटक स्थिति चाहिये, वह सबके सामने है। इससे निपटने के लिये खट्टर सरकार से अधिक निकम्मे और भड़काऊ शासन की कल्पना नहीं की जा सकती।

डीजीपी केपी सिंह का ताज़ा बयान भी इस दिशा में है-शान्ति तोड़ने वालों को उत्तेजित करने वाला और आम नागरिक के भीतर असुरक्षा की भावना को गहराने वाला। आइये देखें वास्तव में कानून है क्या? भारतीय दंड संहिता में एक विशेष अध्याय (धारा 76 से 106 तक) सामान्य अपवाद का है। इस अध्याय में वे परिस्थितियां दी गयी हैं जिनमें कोई भी कृत्य यहां तक कि किसी को जान से मारना भी, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इसी के साथ दंड प्रक्रिया संहिता के ऐसे प्रावधान है जो आम नागरिक को भी पुलिस की तरह बल प्रयोग एवं गिरफ़्तारी के अधिकार देते हैं, बशर्ते कोई गंभीर अपराध उस नागरिक की आंखों के सामने किया जा रहा हो। इन दोनों को मिला कर ही केपी सिंह ने कहा कि बलवाइयों या बलात्कारियों को कोई आम नागरिक भी मौत के घाट उतार सकता है।

उपरोक्त, आत्मरक्षा के कानून की सही व्याख्या इतने सपाट रूप में नहीं की जा सकती जितनी केपी सिंह ने जींद ज़िले में आयोजित एक समिनार में कर दी है। दरअसल, कानून सिर्फ़ उतने बल प्रयोग की इजाजत देता है जितना अपराध रोकने में आवश्यक हो। किन्ही विशेष परिस्थितियों में जैसे हत्या का प्रयास, आबाद घर/दुकान/वाहन इत्यादि में आगजनी, अपहरण/बलात्कार को विफ़ल करने के दौरान, यह बल प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर अपराधी की मृत्यु होने तक भी जा सकता है। यानी कई बातों का संगम आवश्यक है-विशेष परिस्थिति, बल प्रयोग की आवश्यकता, फ़ौरी हत्या/बलात्कार का भय, अपराधी को विफ़ल करने के लिये आवश्यकतानुसार बल प्रयोग। क्या आम नागरिक के लिये संभव है कि वह इन शर्तों को समझे और फ़िर इन पर पूर्णतया अमल करते हुए आत्मरक्षा में बल प्रयोग करे?

दरअसल, हरियाणा का आम नागरिक तो अपने निष्कर्ष गत फ़रवरी में ही निकाल चुका है। उसे केपी सिंह के उपदेशों को मान कर अपनी और ऐसी-तैसी कराने की जरूरत नहीं है। एक तरफ़ उसका मानना है कि सरकारें केवल हिंसा की भाषा ही समझती है। और दूसरी तरफ़ वह जानता है कि अपनी, अपने परिवार, अपने व्यवसाय और अपनी सम्पत्ति की रक्षा उसे खुद ही करनी है, खट्टर और उसकी पुलिस पर वह भरोसा नहीं कर सकता। देखा जाय तो डीजीपी हरियाणा केपी सिंह का भी नागरिकों को यही संदेश है।

प्रकाश कमेटी का अन्धकार

हरियाणा में चल रहे आरक्षण संघर्ष को भाजपाई सरकार जाति संघर्ष बनाने में जुटी है। इस दिशा में प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट खट्टर एंड कंपनी के काम आने जा रही है। रिपोर्ट से ध्वनित होता है कि पुलिस एवं प्रशासन जाति के आधार पर बंटा हुआ था और इसलिए फरवरी आन्दोलन के दौरान उसका झुकाव एक तरफा रहा। यह एक आधारहीन निष्कर्ष है जो जातिगत ध्रुवीकरण के राजनीतिक दुष्प्रचार को मजबूती देता है।

कृपया संविधान देखें । आरक्षण, ऐतिहासिक कारणों से जाति से संदर्भित होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि शब्दकोष में आरक्षण का मतलब जाति हो जायेगा। हालांकि खट्टर सरकार यही सिद्ध करने पर तुली लगती है।

सरकार का खेल है कि जाट को खलनायक बनाओ और इस तरह स्वयं को बाकी समुदायों का नायक सिद्ध करो। फरवरी में वे में चूक गए थे, अब उसकी भरपायी करना चाहते हैं। जाट आरक्षण पर उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक और बड़ी संख्या में दर्ज मुकदमों की समाप्ति की मांग को लेकर पांच जून से पुन: आन्दोलन की तैयारी के सन्दर्भ में प्रदेश के सात जिलों में अर्ध सैनिक बलों को झोंक दिया गया है। यहाँ तक कि आन्दोलनकारियों पर देशद्रोह का एक नया मुकदमा भी दर्ज हो गया है। नए डीजीपी, जो गूजर समुदाय से हैं, की मार्फत हवा में धमक है कि जून में जाटों को सबक सिखाया जायेगा। बजाय गंभीर मामलों को अलग कर उन्हें तेजी से अंजाम तक पहुँचाने पर जोर देने के, प्रकाश सिंह का सन्देश है कि फरवरी हिंसा को लेकर दर्ज हर किस्म की लगभग 2200 एफआईआर में कम से कम दस हजार गिरफ्तारियां तो होनी ही चाहिए। यानी हरियाणा की एक समूची युवा पीढ़ी को अपराधी घोषित करने की मांग कर रहे है जनाब! वे सामाजिक मांगों या आर्थिक परेशानियों के सन्दर्भ में नहीं, बस कानूनी डंडे के दम पर शांति और सुरक्षा बहाली की बात कर रहे हैं। यह समाज को तोड़ने का फार्मूला है।

प्रकाश सिंह का सुझाया रास्ता अंधेरी मंजिलों का रास्ता है। दरअसल, जातीय ध्रुवीकरण को लालायित भाजपा सरकार की नीयत कठघरे में है।

दो वर्ष पूरे हुए मोदी के जबकि छाये हैं नेहरू और कन्हैया

दो साल पहले तक देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को रस्मी तौर पर याद करने का चलन रह गया था। न कांग्रेस पार्टी उनकी नीतियों पर चल रही थी न चुनावी राजनीति में उनका उपयोग रह गया था। लेकिन जैसे ही नरेन्द्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, नक्शा ही बदल गया। मोदी के नेतृत्व में भाजपा और संघ ने नेहरू हटाओं का जोर-शोर से अभियान क्या चलाया, नेहरू जिंदा हो गये। आज उनकी नीतियों और उनके राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय योगदान की चर्चा चारों तरफ़ देखी जा सकती है। अब कांग्रेस को भी नेहरू की नीतियों और उनके व्यक्तित्व में एक संकटमोचक रास्ता नज़र आने लगा है। मोदी और उनके चेले-चांटों को भी नेहरू की विराट उपलब्धियों के सामने स्वयं के बौना दिखने का विकल्प ही रह गया है। मोदी ने जहां नेहरू को जिंदा किया, वहीं कन्हैया कुमार को एक राष्ट्रीय हीरो के रूप में पैदा किया। जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को जेएनयू भी उसी तरह भूल जाता जैसे वह हर वर्ष चुने जाने वाले अध्यक्ष को भूलता आ रहा है। अधिक से अधिक कन्हैया को इस बात का श्रेय मीडिया में मिलने लगा था कि हैदराबाद के रोहित वेमुला की आत्महत्या के मुद्दे को उन्होंने छात्र आन्दोलन के ज़रिये जिन्दा रखा है। अचानक रातों-रात यह समीकरण पूरी तरह बदल गया और भारतीय वामपंथ के निस्तेज क्षितिज पर कन्हैया कुमार को एक चमकते हुए सूरज की तरह देखा जाने लगा।

यहां भी मोदी के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की मार्फ़त कन्हैया पर थोपा गया देशद्रोह का झूठा मुकदमा उसके स्टारडम का सबब बना। 'पूंजीवाद से आज़ादी' और 'मनुवाद से आज़ादी का जेएनयू छात्रों का उद्घोष यकायक 'संघवाद से आज़ादी' की शक्ल भी ले गया। बरसों से सोई पड़ी वाम राजनीति में हलचल का समुद्र हिलोरें लेने लगा। अब यह तय हो चला है कि आने वाले वर्षों में कन्हैया कुमार देश के मध्यम वर्ग और वाम राजननीति का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु बन कर उभरेगा। चुनाव में उसकी हीरो छवि निश्चित ही वोट जुटाऊ सिद्ध होगी।

उन्हें नेहरू और कन्हैया देने के लिये क्रमश: कांग्रेस और वाम को मोदी का शुक्रगुज़ार तो होना ही चाहिये।

ख़बर दार

हेलीकॉप्टर घोटाला: मनमोहन-एंथोनी का किसने गटका निवाला

वर्ष 2013 के शुरू में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व तत्कालीन रक्षामंत्री एके एंथोनी ने इटनी में वेस्टलैंड घोटाले की धमक को दबाने के लिये मामला अपनी सीबीआई की जांच के हवाले कर दिया था। हालांकि घर की सीबीआई को भी केवल वायुसेना अफ़सरों व बिचौलियों की भूमिका को ही टटोलने को कहा गया। यह भी ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहता अगर 3 वर्ष बाद इटली की एक अदालत ने हेलीकॉप्टर कम्पनी के आला अधिकारियों को घूस देने के आरोप में सज़ा न सुनाई होती। अब सवाल यह खड़ा हो गया कि जब इटली वालों ने घूस दी है तो भारत में घूस ली किस-किस ने है? इसी आयाम पर मज़दूर मोर्चा ने 'ईमानदार' एके एंथोनी से काल्पनिक साक्षात्कार लिया।

म.मो-एंथोनी साहब जब सौदा हुआ तब आप रक्षामंत्री थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। यह कैसे कि आप दोनों का नाम इस घोटाले में कोई नहीं ले रहा है?

एंथोनी-मनमोहन सिंह और मैं राजनीति में क्लीन माने जाते हैं। कांग्रेसियों को भी पता था और अब भाजपाईयों को भी पता है कि हम दोनों पैसे नहीं लेते। कम्पनी के दलालों को भी यह बात पता रही होगी। तभी किसी ने हमारा नाम नहीं लिया है।

म.मो.-उस हालत में क्या आप अंदाजे से बतायेंगे कि रक्षामंत्री और प्रधानमंत्री के नाम पर आई रिश्वत की रकम किसने डकारी होगी?

एंथोनी-इस सवाल का जवाब तो अहमद पटेल या ऑस्कर फ़र्नांडिस ही दे सकते हैं। हो सकता है उन्हें भी न पता हो, हालांकि ऐसा हो तो नहीं सकता। खैर यह तो विचौलिया ही बता देगा। हो सकता है मेरे और मनमोहन के नाम पर कोई रिश्वत आई ही न हो। होने को तो यह भी हो सकता है कि बिचौलियों ने कम्पनी से रिश्वत देने के नाम पर रकम ले तो ली हो लेकिन भारत में किसी को दी ही न हो। हालांकि ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय रक्षा सौदों में होता तो नहीं है।

म.मो.-आपने तो उलझा कर रख दिया। खोल कर बताइये कि रिश्वत की उस रकम का क्या हुआ जो आपके और मनमोहन के नाम आई होगी।

एंथोनी-मैं और मनमोहन तो प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री ही बने रहे। इस सौदे के बाद हमें कुछ और तो बनना नहीं था। इसलिये अन्दर की बात हमसे कोई क्यों साझा करता। वैसे अन्दर की बात यह है कि इस सौदे के दो प्रमुख खिलाड़ी बाद में राज्यपाल बनाये गये। एक तो तत्कालीन एनएसए, एमके नारायण और दूसरे तत्कालीन एसपीजी डायरेक्टर भरतवीर वांचू। इन्होंने ही हेलीकॉप्टर का पैमाना बदलवा कर वेस्टलैंड से करार पक्का कराया था। इन्हें ही अन्दर की बात पता होगी।

म.मो.-कहते हैं सोनिया गांधी, जिनका नाम घोटाले में उछाला जा रहा है, आपकी सलाह का बड़ा सम्मान किया करती थी। आपको चाहिये था कि उन्हें सही वक्त पर सही सलाह देकर इस झंझट में पड़ने से रोकते।

एंथोनी-तुम समझे नहीं। मैडम को सलाह तभी दी जा सकती है जब वे मांगे और वही दी जा सकती है जो वे चाहें। कसम से, मुझसे तो कोई सलाह मांगी नहीं मनमोहन से मांगी हो तो भी उन्होंने बोलना ही नहीं होता था। तो यह सवाल भी आपको नारायण और वांचू से ही पूछना पड़ेगा।

म.मो.-कहीं नारायण और वांचू ने मुंह खोल दिया तो मामले की आंच सोनिया तक नहीं पहुंच जायेगी?

एंथोनी-अब पहुंचती है तो पहुंचे, बस मुझ तक न पहुंचे।